रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223102
CG-DL-E-17112020-223102

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3590] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942
No. 3590] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

का.आ. 4087(अ).— केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), सं. का. आ. 3338(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में,

(i) पैरा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

''2क पैरा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य 15 जनवरी, 2021 तक की अवधि या नए प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के गठन, इनमें से जो भी पहले हो, तक पदधारण करेंगे ।'';

(ii) उक्त अधिसूचना में पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

''6क. पैरा 6 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एसईएसी उत्तर प्रदेश, के अध्यक्ष और सदस्य, 15 जनवरी, 2021 की अवधि या नई एसईएसी, उत्तर प्रदेश के गठन, इनमें से जो भी पहले हो, तक पदधारण करेंगे।;''

[जे–11013/43/2007–आईए. II(I) पीटी.]
सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) सं. का.आ. 3338(अ) तारीख 16 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November 2020

S.O. 4087(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3338(E), dated the 16th October, 2017, namely:-

(i) In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"2A. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the Chairman and Members of the Authority, Uttar Pradesh shall hold office for a term up to the 15th January, 2021 or till the constitution of new Authority, Uttar Pradesh, whichever is earlier".

(ii) In the said notification, after paragraph 6, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"6 A. Notwithstanding anything contained in paragraph 6, the Chairman and Members of SEAC, Uttar Pradesh shall hold office for a term up to the 15th January, 2021 or till the constitution of new SEAC, Uttar Pradesh, whichever is earlier".

[J-11013/43/2007-IA.II(I) Pt.]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3338 (E), dated the 16th October, 2017.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.17 20:40:34 +05'30'